

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या— 04 / 03 / अति—4 / 2018—19
प्रयागराज: दिनांक : 27 अप्रैल, 2019

प्रेस—विज्ञप्ति

सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) पुरुष/महिला शाखा परीक्षा 2018, दिनांक 29—07—2018 को प्रदेश के 39 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न करायी गयी थी। प्रश्नगत परीक्षा के शारीरिक शिक्षा विषय के पुरुष शाखा में कुल 14587 अभ्यर्थी तथा शारीरिक शिक्षा विषय के महिला शाखा में कुल 5481 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। प्रश्नगत पद का चयन 150 अंकों का है। प्रश्नगत परीक्षा में शारीरिक शिक्षा विषय में पुरुष शाखा से सम्बन्धित कुल 140 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 140 अभ्यर्थी तथा शारीरिक शिक्षा विषय में महिला शाखा से सम्बन्धित कुल 168 रिक्तियों के सापेक्ष 140 अभ्यर्थियों का चयन औपबन्धिक रूप से किया गया है जिसे सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चर्चा कर दिया गया है तथा आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

2—प्रश्नगत परीक्षा का सम्पूर्ण परिणाम पूर्णतया औपबन्धिक है। अतः अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे वांछित मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु आयोग द्वारा अलग से जारी होने वाली विज्ञप्ति के अनुसार समयान्तर्गत उपस्थित होकर अपने अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

3—प्रश्नगत परीक्षा का परिणाम मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या—17183/2018, विजय नाथ व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4—याचिका संख्या—11041/2018 सत्येन्द्र कुमार सिंह व 07 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या—13644/2018 जय प्रकाश मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या—13703/2018 उदय प्रकाश तिवारी व 02 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य याचिका संख्या—13808/2018 जय श्री सिंह व 07 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या—13725/2018 चन्द्रशेखर व 03 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा याचिका संख्या—9614/2018 दिव्य प्रकाश मिश्रा व 32 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में शारीरिक शिक्षा पुरुष शाखा से संबंधित याचियों का अभ्यर्थन उक्त याचिकाओं में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

5—प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार/ पदवार कट आफ अंक आयोग की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित कर दिये जायेंगे। इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर विचार किया जायेगा।

(जगदीश)
सचिव।